

आयकर आयुक्त- II, का कार्यालय, कोल्हापुर
आयकर भवन, 31 -सी / 2, ताराबाई पार्क, कोल्हापुर

फा.सं.- कोल्हा/आ.आ. -II/804/40/43/2008-09/1177

दिनांक : 19/08/2008

आदेश


आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G के अधिन

-: मान्यता प्रमाणपत्र :-

दानकर्ताओं द्वारा श्री गणेश वेदपाठशाला, देवरुख
ला. स्वामी स्वामी, जि. रत्नागिरी को दिये गये दान आयकर अधिनियम 1961 की
धारा 80-G में विहित शर्तों और सीमाओं के अधिन कर राहत के लिये भागी हो।

- यह प्रमाणपत्र दिनांक 01/04/2008 से 31/03/2011 तक वैध है।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(4) (अ) व आयकर नियमावली 1962 के नियम 12 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिनांक :- 19/08/2008
कोल्हापुर :-



हस्ता
(जे. सुरेश)
आयकर आयुक्त-II
कोल्हापुर.

टिप्पणी :-

- दानकर्ताओं को जारी की गयी रसीदों में इस आदेश की संख्या व तारीख स्पष्टतया उल्लेख होना चाहिए। यह प्रमाणपत्र केवल 31/03/2011 तक वैध है।
- आय- व्यय खाता और संग्रह तुलन पत्र को हर साल सहायक आयकर आयुक्त / आयकर अधिकारी वार्ड, (2) रत्नागिरी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- इस छुट के नविनीकरण के लिये आय- व्यय खाता और संग्रह तुलन पत्र की प्रतियों के साथ संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि न्यास / संस्था के उत्तरदायित्वों में या नियमों में कोई संशोधन किया गया हो, तो उसकी प्रतियाँ आवश्यक होगी, साथ में एक प्रमाणपत्र भी दें कि धारा 13(1) (ग), 13(1) (सी) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
- छुटके नविनीकरण के लिए पत्र देते समय इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भ और दिनांक का उल्लेख करें।

प्रतिलिपि :-


- न्यास / संस्था श्री गणेश वेदपाठशाला, देवरुख
ला. स्वामी स्वामी, जि. रत्नागिरी
- अतिरिक्त आयकर आयुक्त, परीसर रत्नागिरी
- आयकर आयुक्त / आयकर अधिकारी वार्ड (2) रत्नागिरी

धार्मिक लेखा संख्या / PERMANENT ACCOUNT NUMBER
AABTS9420R



नाम / NAME

SHRI GANESH VED PATHASHALA



(प्रकाश गोगवेकर)
आयकर अधिकारी (तक II)
कृते आयकर आयुक्त II, कोल्हापुर.

गठन/बनने की तिथि / DATE OF INCORPORATION/FORMATION

-12-1997

आयकर आयुक्त, कोल्हापुर

COMMISSIONER OF INCOME-TAX, KOLHAPUR